



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ- रुद्रप्रयाग

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग

वनभूमि

हस्तान्तरण पत्रावली

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

ग्राम	:- गौण्डार,
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	:- कालीमठ,
तहसील	:- ऊखीमठ
जनपद	:- रुद्रप्रयाग
क्षेत्रफल	:- 2.595 है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।
	0.735 है० राज्य भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु ।
	0.300 है० राज्य भूमि मक इम्पिंग हेतु ।
	0.375 है० आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) मक इम्पिंग हेतु ।
कुल वनभूमि	:- 4.005 है०

2

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	9-13	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	17-A	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।		संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
11	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	22-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	36-43	संलग्न है	
18	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	44	संलग्न है	
19	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	45-47	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	48	संलग्न है	
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	50	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	51-52	संलग्न है	
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	53	संलग्न है	
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	54-55	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम समाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	56	संलग्न है	
27	लागत लाभ विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	57-61	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	-	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन

			है	निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	62-65	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	66	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाणपत्र	67-68	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	69-70	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	71	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	72	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	73	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	74	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	75	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	76-78		
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	79		
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	80-81		
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	82-83		
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	84-86		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	87		
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	-		
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	88-90	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	91	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	92	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	93	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	94	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैवट सीट

1- परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

2 - प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (1) मोटर मार्ग हेतु + (2) मक इम्पिंग हेतु	$2.595 + 0.375 = 2.970$
राज्य भूमि (1) मोटर मार्ग हेतु + (2) मक इम्पिंग हेतु	$0.735 + 0.300 = 1.035$
वनभूमि का योग	4.005
नाप भूमि	0.219
कुल योग	4.224

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

5-प्रस्ताव बांझड़िंग किया गया है - हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है- हाँ/ नहीं

13 - संमोक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। - हाँ/नहीं

14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। - हाँ/नहीं

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता

प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

प्रति संलग्न करें)

22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। -

हाँ/नहीं

23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -

हाँ/नहीं

28-ताम्र ताम्र विस्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

हाँ/नहीं

(5.00 है से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

29-सम्बन्धित व कार्यालय में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-सम्बन्ध के विस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

सम्बन्ध के विस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-सर्वे सक्षर द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्न है

हाँ/नहीं

32-यथा प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो यथा वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जाती है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-यथा प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-यथा चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व

समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2847 / III-2/05-79(प्रा०आ०)/05 दि० 19/12/2005 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बाह्यमासी संपर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 5.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी ₹84.00 लाख है। उक्त मार्ग के संभरण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (1) मोटर मार्ग हेतु (2) मक इम्पिंग हेतु	3707	7	2.595 + 0.375 = 2.970
2	राज्य भूमि (1) मोटर मार्ग हेतु (2) मक इम्पिंग हेतु	1050	7	0.735 + 0.300 = 1.035
वनभूमि का योग:-				4.005
3	नाप भूमि	243	9	0.219
कुलयोग:-				4.224

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)


(Manoj Das)

Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

1. सरकारें तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- उत्तराखण्ड के जनपद-रूद्रप्रयाग के सीमान्त गाँव गौण्डार को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिये तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० ऊखीमठ को हस्तान्तरण करने हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। वर्तमान में गौण्डार ग्रामवासियों (कुल आबादी 242) को मूलभूत सुविधाओं के लिये 6.50 कि०मी० पैदल तथा 25.00 कि०मी० मोटर मार्ग से होते हुये तहसील मुख्यालय आना पड़ता है। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- ₹ 84.00 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 21) के अनुसार |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। | :- लागू नहीं है। |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- 11200 मानव दिवस |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 33) के अनुसार |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है। |
| | (i) परिवारों की संख्या। | :- शून्य |
| | (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- शून्य |
| | (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- नहीं |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- संलग्न |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का व्यौरा। | :- विषय सूची के अनुसार संलग्न हैं |

(डॉ. मनोज दास)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

स्थान ऊखीमठ
दिनांक 12/08/16

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति —	तलसारी- गौण्डार
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	रुद्रप्रयाग
(iii) जिला वन प्रभाग	कैदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	4.005 है०
2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	आरक्षित वन / सिविल
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन / सिविल
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	.02
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा	संलग्न।
4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	0.00 किमी० लगभग
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	नहीं
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं

जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	
8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	निम्नानुसार
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचित भूमि न्यूनतम है।
9. किए गए अतिक्रमण के व्यौरें :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	लागू नहीं।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	संलग्न है।
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथिति।	सिविल सोयम भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	सिविल सोयम भूमि
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	संलग्न
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न।
11- वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न।
12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर

तारीख:

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

उप वन संरक्षक
कदरनाथ कन्य जाय प्रमाण
गोपेश्वर

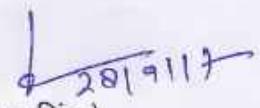
भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

**जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
4.005 है0 वन भूमि हस्तान्तरण**

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि० 27.09.2017 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री धीरज सिंह गुसाई, वन दरोगा व श्री महेन्द्र सिंह राणा, वन आरक्षी एवं लो०नि०वि० ऊखीमठ से श्री राजविन्द सिंह, सहायक अभियन्ता व श्री सलोप सिंह राणा, कनिष्ठ अभियन्ता मौके पर उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरक्षण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि..... 28/9/17
स्थान-गोपेश्वर।


 (मान सिंह)
 निदेशक/वन संरक्षक,
 नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.005 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर में 2.97 है० आरक्षित वन भूमि एवं 1.035 है० राजस्व वन भूमि अर्थात् कुल 4.005 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग, गोपेश्वर तथा निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 18 / 01 / 2018

स्थान : देहरादून

1(37)/2018

PROPOSAL NO -FP/UK/Road/23612/2017

**PROPOSAL NAME- Talsari Tok To Gaundar Motor
Road**

AREA -4.005 Ha

District - Rudraprayag

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-U above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

Signature-

Name and designation

Official seal

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

पना,
धिव,
शासन।

सिन्ता रतार-1.

विभाग, देहरादून।

अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 19 दिसम्बर, 2005

वर्ष 2005-06 में 81(इक्यासी) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय की स्वीकृति।

विषय के संदर्भ में गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 82 478.01 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 81 136.43 लाख (रुपये इक्यावन करोड़ छत्तीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने के लिये उनके सामुख कालग-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 8.10 लाख (रु० आठ लाख की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को फॉरेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण निरीक्षण आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता के प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

करने से पूर्व विस्तृत आगणन/गानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

आर उत्तम ही जाय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्ग है, स्वीकृत नार्ग से अधिक व्यय कदापि न

करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक होगा।

से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के गध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को समाहित कराते समय पालन करना सुनिश्चित

से पूर्व स्थल का माली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले।

स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपण्णी के अनुरूप कार्य किया जाय।

विन मार्गे हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी

किया जाय।

को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा अनुमति पायी

प्रयोग में लाया जाय।

विधियों का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा० सं०-452/XXVII(1)/2005 दिनांक

द्वारा समाय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

हो आशा की इस आशय से प्रेषित कि कर (र 35 पर अंकित-
र 35 से प्रमाणित है, आर कर करे।
कर कर (प्र.आ.) को।

सड़िका मार्ग से होते हुए				
सड़कल-भेदोली मोटर मार्ग	3.00	41.70	41.70	0.10
माली-गयारसू-गोहरा मोटर	3.00	41.70	41.70	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	4.00	55.60	55.60	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	6.00	83.40	83.40	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	2.00	34.40	32.40	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	1.200	20.65	19.40	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	1.00	17.20	16.20	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	0.500	8.60	8.10	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	1.00	17.20	16.20	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	1.00	17.20	16.20	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	0.220	3.15	3.08	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	5.00	84.00	84.00	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	1.00	8.70	8.70	0.10
डंडाण्डी जमेली मोटर मार्ग	1.50	13.05	13.05	0.10

Photo copy Attested

सहस्रक विभाग
निर्माण संचालक
रुखीमठ (सहस्रक)

प्रपत्र - 6

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 3/11/2015 को प्रश्नगत परियोजना हेतु आरक्षित वनभूमि व राज्य भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राय सिंह कुँवर वन दरोगा अनुभाग मदमहेश्वर एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~सुरेश कुमार~~ एंव लो0नि0वि0 की ओर से श्री रुपेश भट्ट (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री विष्णुदत्त नौटियाल (अमीन) द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु विम्वानुसार आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) 2.97 है0 व राज्य भूमि 1.035 है0 अर्थात् कुल वनभूमि 4.005 है0 व नाप भूमि 0.219 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लो0नि0वि0 द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत परियोजना जलहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 142 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 222 वृक्षों व व नाप भूमि पर 34 वृक्षों का पालन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन

निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



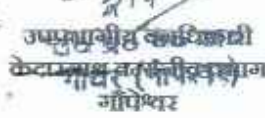
अधीक्षासी अभियन्ता
निर्माण स्वण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

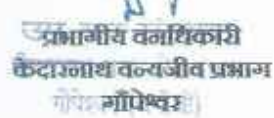

राजस्व उप निरीक्षक
ऊखीमठ


तहसीलदार
ऊखीमठ


उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


जनपद रुद्रप्रयाग
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुख्याधीक्षक


उपप्रमुख निरीक्षक
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुख्याधीक्षक


प्रभागीय वन अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुख्याधीक्षक


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For forest land to be diverted under Forest Conservation Act, 1980)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, P.W.D Ukhimatnh, District- Ridraprayag, for diversion of **4.005 Ha.** of Forest land under Forest Conservation Act, 1980 for non-forestry purpose. The project envisages transfer of Forest land of **Reserve forest /Civil forest** for **Construction Talsari Tok To Gaundar Motor Road.**

I have carried out the site inspection of the land required on date

Upon inspection of the site, the following has come to light:

1. It is found that the land required by the user agency is a RF/PF//Unclassed/Protected Forest. The break-up of the land is as under:

The Reserve forest	2.970 Ha
Civil forest	1.035 Ha
Van Panchayat forest	0.000 Ha
Total required Forest Land	4.005 Ha

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If, so the details there of.
Leopard, Bear ,Marten, Barkingdeer etc.

Whether any protected archeological/ heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required. None.

- a) The user agency has violated / has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal:

Recommended/Not Recommended/ Recommended subject to the following conditions:

- 1- Muck disposal plan be strictly adhered to.
- 2-No land other than the proposed be used for the work.
- 3-No other activity-other than the one for which the land transfer is being sought, be conducted without adequate necessary formalities.
- 4-No waste of any sort (eg.plastic/cement bags/other wastes) shall be left in the reserved forest.

Signature)

Place: Gopeshwar

Name: **Neetu Laxmi M.** IFS

Office Seal:

Date:

Designation: Deputy Conservator of Forests,

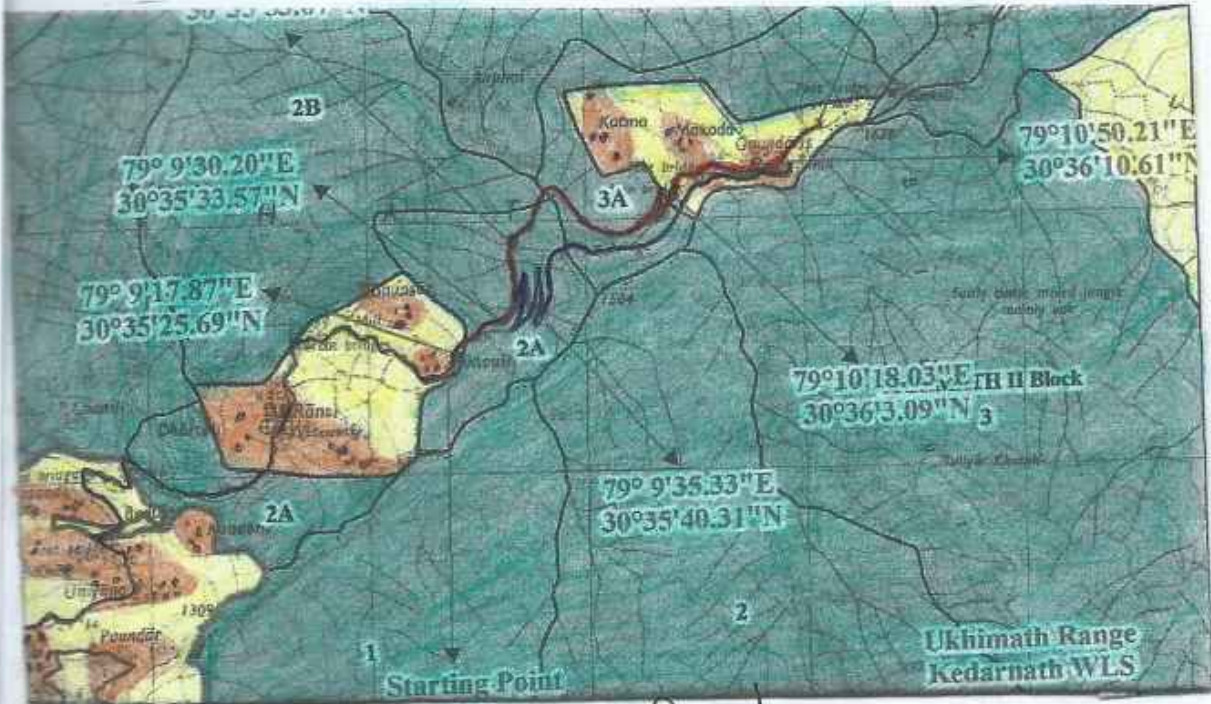
Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar.

उप वन सरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000



अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उपनिरीक्षक

निरीक्षक

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

ऊखीमठ

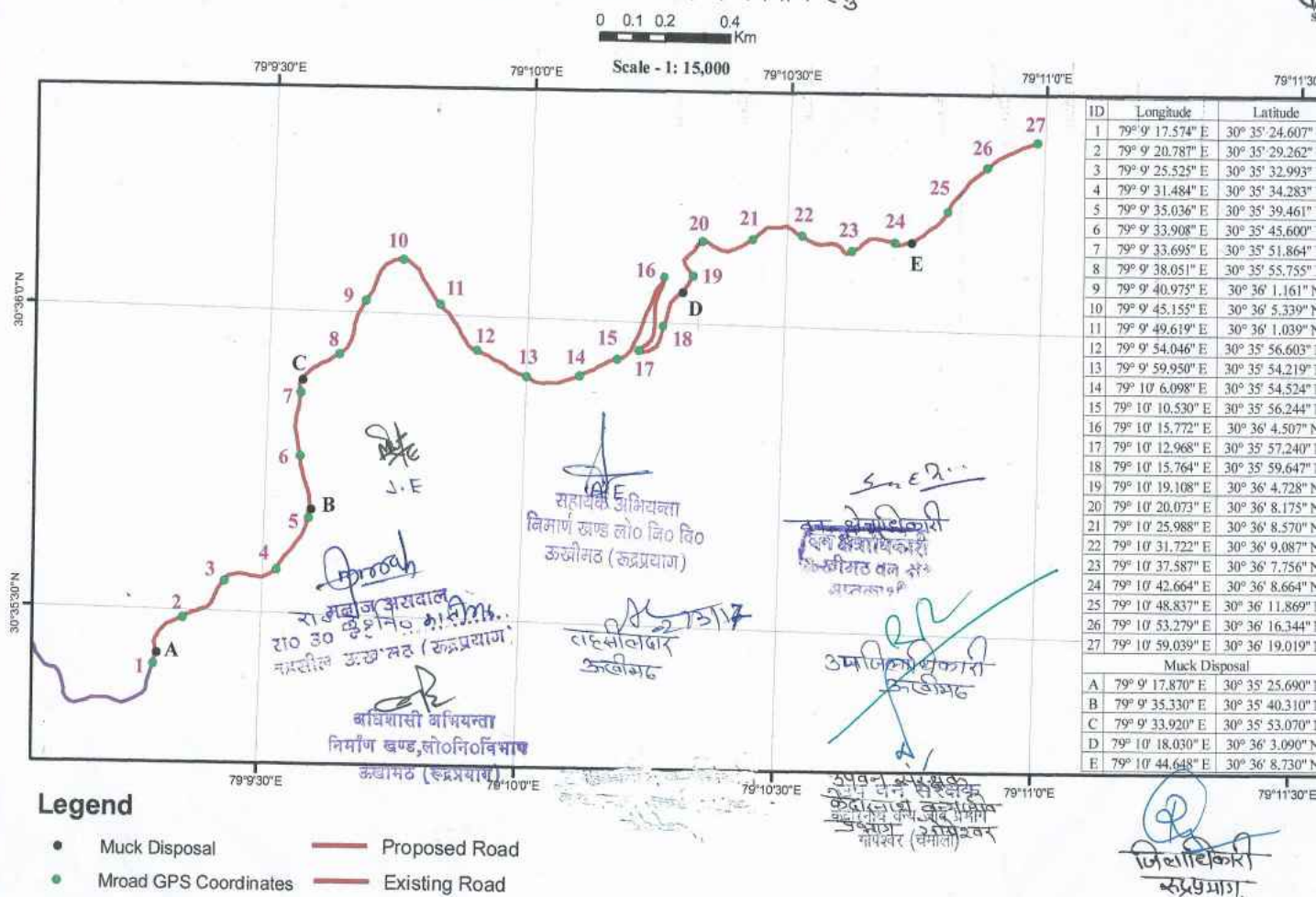
1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरेखण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	शून्य
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एवं नाला	

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)





-  Muck Disposal
-  Proposed Road
-  Alternate Road
-  Existing Road
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Range Boundary

अविनाश अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो० मि० वि०
कल्लिभट (कटप्रायाग)

उप जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
जुबीमठ
स्वप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रजातीय वन अधिकारी
गोपालपुर (समोली)

सं. उ० नि०
महामा

कृष्णमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

सहस्रनाम
सहस्रनाम
कलीमठ
सहस्रनाम सहस्रनाम

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

laghar

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के जव निर्माण हेतु वनभूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

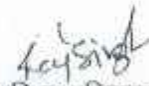
वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव-गौंडार (कुल आबादी 242) वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा प्राप्त करने जहां विद्यार्थियों को प्रतिदिन 6.50 कि०मी० पैदल चलकर ग्राम रांसी आना पड़ता है वहीं स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिये ग्राम रांसी से 25 कि०मी० दूर ऊखीमठ आना पड़ता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को 6.50 कि०मी० की पैदल दूरी तय करने से राहत मिलेगी तथा आम जनता का तहसील मुख्यालय, ब्लाक तथा चिकित्सालय आदि से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। इस मोटर मार्ग से मदमहेश्वर घाट जाने का 16 कि०मी० पैदल मार्ग भी घटकर 9.5 कि०मी० ही रह जायेगा जो कि अधिक श्रद्धालुओं को प्रेरित कर पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र में होना है उसका अधिकतम भाग केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभ्यारण में है जिस हेतु भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति ले ली गयी है (प्रतिलिपि प्रस्ताव के साथ संलग्न है)। आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सिविल वन भूमि तथा नाप भूमि है। मोटर मार्ग के समरेखण में आवश्यक स्थानों पर नाप भूमि ली गयी है परन्तु समरेखण में ली गयी आरक्षित वन भूमि एवं सिविल वन भूमि अपरिहार्य है।

अतः ली गयी 4.005 है० वन भूमि न्यूनतम है। समरेखण का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समरेखण पर कम से कम वन भूमि पड़े तथा कम से कम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो।


अधीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



प्रभागीय वन अधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार

प्रपत्र-13

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संमोखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



उपप्रभागीय वनधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी



उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौबाले (महेश्वर)



उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौबाले (महेश्वर)

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्व घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मार्ग की स्वीकृति:- शासनादेश संख्या शा.सं. 2847(1)।।।-2/ 05-79 प्रा.आ./05 दिनांक 19-12-05

स्वीकृत लम्बाई :- 5.00 किमी.

लागत :- रु. 84.00 लाख

संरेखण की उपयोगिता:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत में राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2847(1)।।।-2/ 05-79 प्रा.आ./05 दिनांक 19-12-05 के द्वारा 5.00 किमी. लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु रु. 84.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एक्स्टेंशन जुगासू से रांसी तलसारी मोटर मार्ग के 3.85 किमी. के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित संरेखण में मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी. आती है तथा इसमें दो एच.पी.बैण्ड एवं 30 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर के क्रमशः 3 सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी। मार्ग के निर्माण होने से मदमहेश्वर धाम हेतु प्रतिवर्ष दशनार्थ आने वाले लाखों पर्यटकों एवं इस क्षेत्र के सुदुर गांव वासियों हेतु एक सुगम मोटर मार्ग शुलभ हो सकेगा। जिससे यंहा का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

संरेखण का विवरण:-

सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर मान चित्र पर समरेखण 01 एवं 02 क्रमशः लाल व हरे रंग से दर्शाये गये हैं जिनमें गुणवागुण एवं तकनीकी दृष्टिकोण से समरेखण नं. 01 जो कि लाल रंग से प्रदर्शित है, उत्तम प्रतित होता है। जिसकी अनुमोदन हेतु आपकी सेवा में संस्तुति सहित प्रेषित है। संरेखण नं. 1 पर क्षेत्रवासी भी सहमत हैं।

अतः संरेखण (1) जो कि लाल रंग से अंकित है अनुमोदन हेतु प्रेषित।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण नं. 1 लाल रंग में	समरेखण नं. 2 हरे रंग में
1.	मुख्य विशेषताएं एवं विवरण	यह संरेखण पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत पंचम चरण में स्वीकृत एक्स्टेशन जुगासू से रांसी तलसारी मोटर मार्ग के 3.85 किमी. के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी. आती है।	यह संरेखण पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत पंचम चरण में स्वीकृत एक्स्टेशन जुगासू से रांसी तलसारी मोटर मार्ग के 3.85 किमी. के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में मार्ग की लम्बाई 5.50 किमी. आती है।
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	5.00 किमी.	5.50 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि (स) सिविल भूमि (वन पंचायत)	3.725 किमी. 0.425 किमी. 0.850 किमी.	4.225 मी. 0.525 किमी. 0.750 किमी.
5.	सूर्य प्रकाश का भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	शून्य
6.	भूस्खलन	शून्य	0.100 किमी. लगभग
7.	भूमि	मिटटी, पत्थर कठोर चट्टान आदि।	मिटटी, पत्थर अत्यधिक कठोर चट्टान
8.	वनस्पति		
9.	मार्ग का ढाल	4.50 प्रतिशत	4.50 प्रतिशत
10.	अनुप्रस्थ ढाल 7. सामान्य ढाल 8. दीव ढाल	5.00 किमी. शून्य	5.50 किमी. शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	3.00 किमी. 2.00 किमी.	3.50 किमी. 2.00 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. श्रमिक	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता

PWD/-Peel-32

Photo copy Attested

क्रमशः - 2-

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

13

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण नं.1 लाल रंग में	समरेखण नं.2 हरे रंग में
1	2	3	4
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (ब) बड़े पुल, संख्या व विस्तार	2 (12.00 मीटर) 1 (30.00 मीटर)	2 (12.00 मीटर) 1 (36.00 मीटर)
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। जलवायु ठंडी	समरेखण 1 के अनुसार
16.	लाभाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या 1. गौडार 00200900 242	समरेखण 1 के अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह संरेखण पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत पंचम चरण में स्वीकृत एक्स्टेशन जुगासू से रांसी तलसारी मोटर मार्ग के 3.85 किमी. के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी. आती है।	यह संरेखण पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत पंचम चरण में स्वीकृत एक्स्टेशन जुगासू से रांसी तलसारी मोटर मार्ग के 3.85 किमी. के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में मार्ग की लम्बाई 5.50 किमी. आती है।
18.	सामरिक महत्व	मुख्य मार्गों से जुड़ जाने के कारण मार्ग पर्यटक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।	समरेखण 1 के अनुसार
19.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावर जैसे आलु,माल्टा, नीबू, नारंगी व राजमा आदि का ढुलान हेतु एक सुगम मार्ग सुलभ होगा।	समरेखण 1 के अनुसार
20.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदाओं का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण 1 के अनुसार
21.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिजों का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण 1 के अनुसार

PWD/-Pee1-33

Photo copy Attested

क्रमशः - 3-

सहायक अभियन्ता
जिला पब्लिक वर्क्स
ऊना (अठप्रयाग)

5

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण नं.1 लाल रंग में	समरेखण नं.2 हरे रंग में
1	2	3	4
22.	लाम व हानि	1. कठोर चट्टान कम पड़ेगी। 2. 2 नं. एच.पी. बैण्ड पड़ेंगे। 3. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 4. वृक्षों की हानि की कम सम्भावना है। 5. इसमें नाप भूमि कम आ रही है। 6. इस सरेखण से क्षेत्र की आम जनता सन्तुष्ट है।	1. कठोर चट्टान अधिक पड़ेगी। 2. 4 नं. एच.पी. बैण्ड पड़ेंगे। 3. हानि सम्भावित है। 4. कम वृक्षों की हानि की सम्भावना है। 5. इसमें नाप भूमि अधिक आ रही है। 6. इस सरेखण पर आने वाले बैण्डों की संख्या नाप भूमि, भवनो की क्षतियों की सम्भवना को देखते हुए क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट नहीं है।

कमिष् अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

संलग्न तुलनात्मक रूप से स्पष्ट है कि समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है तथा संरेखण नं. 1 से जनता भी संतुष्ट है।

अतः समरेखण जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, स्वीकृति की संस्तुति सहित प्रेषित किया जाता है। मार्ग केवल 5.00 किमी० लम्बाई में निर्मित होना है। निर्माण कार्य कठोर चट्टान, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से प्रदर्शित है गुणावगुण एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उत्तम प्रस्ताव होता है, अनुमोदन हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

photo copy Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा पुनरीक्षित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 21.4.07
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 21.4.07
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि 21.4.07

अतः पुनरीक्षित समरंखण जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo copy / Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदनहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	4.005	222	5.00	-
संरेखण-2	4.800	250	5.00	अधिक वृक्षों का पातन व वनभूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त दोनों समरेखणों में से समरेखण न० 1 (एक) उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य व संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 4.005 है। राज्य भूमि व आरक्षित वनभूमि (संरक्षित) वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



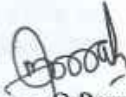
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अस्थायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजस्व उप निरीक्षक
काशी


तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपनिर्वाहिकारी
ऊखीमठ
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


वन विभागाधीनारी
ऊखीमठ का क्षेत्र
गोपेश्वर

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव विभाग
गोपेश्वर

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव विभाग
गोपेश्वर (विभागाधीनारी)


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15

लैंड शैड्यूल (संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम: जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदनहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	ऊखीमठ वन क्षेत्र, गुप्तकाशी	ऊखीमठ-II ब्लॉक	3707	7	2.595 मोटर मार्ग हेतु + 0.375 मकड़मिंग हेतु = 2.970

अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वनक्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उपप्रभारी वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार

32

प्रपत्र-15.1
लैन्ड शैड्यूल

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है०)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ऊखीमठ	100 280 375 402 424	5.576 0.165 0.501 1.729 0.845	1050	7	0.735 + 0.300 मूल इसलिए हेतु = 1.035


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सब्सि उप निरीक्षक
ऊखीमठ


तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-16

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) (1) मोटर मार्ग हेतु (2) मक इम्पिंग हेतु	3707	7	2.595 + 0.375 = 2.970
2	राज्य भूमि (1) मोटर मार्ग हेतु (2) मक इम्पिंग हेतु	1050	7	0.735 + 0.300 = 1.035
वनभूमि का योग:-				4.005
3	नाप भूमि	243	9	0.219
कुलयोग:-		5000	-	4.224

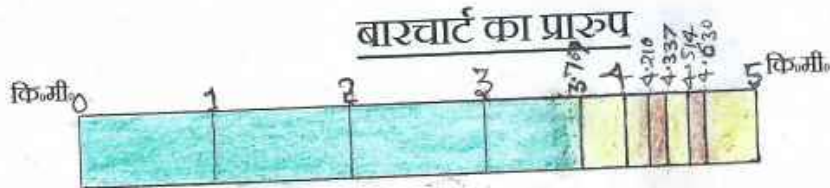

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है० में)
आरक्षित वनभूमि (संरक्षित)	Green	2.595 + 0.375 मक
राज्य भूमि	Yellow	0.735 + 0.300 मक
जाप भूमि	Orange	0.219

[Signature]
अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
राजस्व उप निरीक्षक
ऊखीमठ

[Signature]
वन अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
तहसीलदार
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

[Signature]
उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौचरगढ़

[Signature]
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
उप जिलाधिकारी
उप निरीक्षक
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

[Signature]
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौचरगढ़

[Signature]
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


उप वन अधिकारी
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 3/11/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आरक्षित वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

आरक्षित वन भूमि (संरक्षित) पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	म0 का0 III क्र0 सं0 2 (A)	चीड़	18	15	13	21	18	22	13	06	07	04	137
2	-	बाँज	-	02	09	09	03	01	-	-	01	01	26
3	-	उत्तीस	-	02	07	04	05	02	-	-	-	-	20
4	-	बुर्रास	04	-	09	03	01	01	-	-	-	-	18
5	-	अयार	-	01	02	-	01	-	-	-	-	-	04
6	-	पदम	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
7	-	फुकाट	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
8	-	खाकसी	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	03
9	-	तुन	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
	-	योग	23	20	43	39	28	26	13	06	08	05	211

रा.उ.मं.
कलीपठ

तहसीलदार
जनपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभागिकारी
जनपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभागिकारी
कलीपठ वन अं.
गुप्तकाशी

उपप्रभागिकारी
कलीपठ वन अं.
गौचर (अपेक्षित)

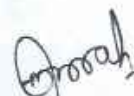
उपप्रभागिकारी
कलीपठ वन अं.
गौचर (अपेक्षित)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का तो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 3/11/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	राज्य भूमि रॉसी गौण्डर	चीड़	02	-	01	-	-	-	-	01	-	01	05
3		उत्तीस	-	03	-	-	-	01	-	-	-	-	04
4		बुरीस	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
5		काफल	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01
		योग	02	03	02	-	-	01	-	02	-	01	11


राजेंद्र सिंह
कानून मंत्री


राजेंद्र सिंह
कानून मंत्री
जनपद रुद्रप्रयाग


राजेंद्र सिंह
कानून मंत्री
जनपद रुद्रप्रयाग


राजेंद्र सिंह
कानून मंत्री
जनपद रुद्रप्रयाग


राजेंद्र सिंह
कानून मंत्री
जनपद रुद्रप्रयाग


राजेंद्र सिंह
कानून मंत्री
जनपद रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 3/11/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार पंचायती वनभूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

व्यास वर्ग												योग
क्र.सं.	वन क्षेत्र का नाम	प्रजाति	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
						शून्य						

राजस्व उप निरीक्षक
कामीन 6

राजस्व उप निरीक्षक
कामीन 6

उप निरीक्षक
कामीन 6

वन क्षेत्राधिकारी
कामीन 6

उप निरीक्षक
कामीन 6

उप निरीक्षक
कामीन 6

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदनमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 3/11/2015 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नाप भूमि रॉसी गौण्डार	सेब	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05
2		माल्टा	12	01	-	-	-	-	-	-	-	-	13
3		रिमला	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02
4		भीमल	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
5		बाँज	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
6		उत्तीस	05	-	-	03	01	02	01	-	-	-	12
		योग	22	04	-	03	02	02	01	-	-	-	34

राजस्व उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

वन विभागाधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रपत्र - 20.1

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि (संरक्षित)	23	20	43	39	28	26	13	06	08	05	211
2	सिविल सोयम	02	03	02	-	-	01	-	02	-	01	11
3	वन पंचायत	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	25	23	45	39	28	27	13	08	08	06	222
4	नाप भूमि	22	04	-	03	02	02	01	-	-	-	34
	कुल योग	47	27	45	42	30	29	14	08	08	06	256

वन विभाग
उत्तरी वन क्षेत्र
मुफ्तकाशी

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
मौलेश्वर

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
मौलेश्वर

प्रस्तावित - रांसी से गौण्डार मोटरमार्ग में बाधित स्थलों की सूची
 ब्लॉक/क.स. - म. का. III क.स. 2 (A) आरक्षित वन
 जी. पी. एस. लोकेशन - ऊ. - 1082M N-30°35'30.5" E-079°09'13.0"

①

(41)

प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	कुल योग
चीड़	18	15	13	21	18	22	13	06	07	04	137
घांज	-	02	09	09	03	01	-	-	01	01	26
उत्तीस	-	02	07	04	05	02	-	-	-	-	20
बुरांश	04	-	09	03	01	01	-	-	-	-	18
मयार	-	01	02	-	01	-	-	-	-	-	04
पदम	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
कुकाट	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
खाकसी	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	03
तुन	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01
योग	23	20	43	39	20	26	13	06	08	05	211, यूएस

ऊतः सूचनार्थ सेवा में प्रेषित, 13/11/16

राय सिंह कुंवर
 अनुभाग अधिकारी, वन विभाग
 केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गौण्डार

(रूपेश भट्ट)

कृषि अभियंता
 नि. ख. लो. नि. वि.
 आलीभट (रुद्रप्रयाग)

(निष्पुष्पा नैरिपाल)
 आमीन
 नि. ख. लो. नि. वि.
 आलीभट

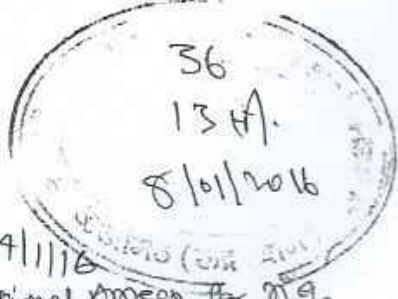
वन विभाग

आमीन
 वन विभाग

H 165/1341

14/11/16

Gifts Divisional Amee for



Ex-Off
 13/11/16

वन क्षेत्र अधिकारी
 आलीभट वन सं. 2
 रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित रांसी से गौडार मोटरमार्ग से बाधित सिविल भूमि से
वृक्षों की श्रृंखला

(42)

G.P.S - N-1707M N-30°36'08.6"E-079°10'30.3"

वृक्ष प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90सेअधिक	कुल योग
शीड़	02	-	01	-	-	-	-	01	-	01	05
सीस	-	03	-	-	-	01	-	-	-	-	04
बुरांश	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
बाफला	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01
योग	02	03	02	-	-	01	-	02	-	01	11
सहायक सचिव सादर सेवा से प्रेषित राय सिंह कुंवर अनुभाग अधिकारी / वन व केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग											

(राजेश शर्मा)
कनिष्ठ अभियन्ता
नि. ख. लो. नि. वि.
अखीमठ (मध्यप्रदेश)

वन क्षेत्राधिकारी
अखीमठ वन क्षेत्र
मध्यप्रदेश

(विशेषज्ञ मोटिवाल)
अखीमठ
नि. ख. लो. नि. वि.
अखीमठ

प्रस्तावित - रांसी से गौन्डार मोटरमार्ग में बाधित स्थलों की सूची
 ब्लॉक/क.स. - म. का. ए. क.स. 2 (A) नाप थरि
 जी. पी. एस - H-1669 M N-30°36'09.2" E-079°10'48.2"

43

श्रेणी	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	योग
सेब	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05
माल्टा	12	01	-	-	-	-	-	-	-	-	13
तिमला	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02
भीमला	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
बनीरा	05	-	-	03	01	02	01	-	-	-	12
बाज	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
योग	22	04	-	03	02	02	01	-	-	-	34

अतः सूचनाय लेवा में उचित,

राय सिंह कुंवर
 अनुभाग अधिकारी वन
 केदारनाथ वन्यजीव वन विभाग

(रूपेश भट्ट)
 कनिष्ठ अभियन्ता
 नि.श. लो. नि. वि.
 ऊष्मीय (रूपेश भाग)

(विष्णु देव नारायण)
 अभियन्ता
 नि.श. लो. नि. वि.
 ऊष्मीय

वन क्षेत्राधिकारी
 ऊष्मीय वन क्षेत्र
 भूपतिकाशी

प्रपत्र - 21

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 256 वृक्षों का पातन किया जाना है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन्यजीव अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गोपेश्वर


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य ₹ 918080.00 आंकलित किया जाता है।


वनक्षेत्राधिकारी
विन केवधिकारी
अतिरिक्त वन क्षेत्र
गौण्डार


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार


प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार

वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्र.स.	ब्लाक /ग्राम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से.मी.	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी
1	म०का० III क्र०सं० 2(A)	चीड़	pinus roxburgii	18	0-10	90.00	1620.00	
		-	-	15	10-20	240.00	3600.00	
		-	-	13	20-30	600.00	7800.00	
		-	-	21	30-40	2330.00	48930.00	
		-	-	18	40-50	5070.00	91260.00	
		-	-	22	50-60	8565.00	188430.00	
		-	-	13	60-70	13200.00	171600.00	
		-	-	06	70-80	13660.00	81960.00	
		-	-	07	80-90	23860.00	167020.00	
		-	-	04	90 से ऊपर	26250.00	105000.00	
2	-	बाँज	Quercus leucotrichophora	02	10-20	145.00	290.00	
	-	-	-	09	20-30	225.00	2025.00	
	-	-	-	09	30-40	485.00	4365.00	
	-	-	-	03	40-50	1050.00	3150.00	
	-	-	-	01	50-60	1770.00	1770.00	
	-	-	-	01	80-90	4700.00	4700.00	
	-	-	-	01	90 से ऊपर	6000.00	6000.00	
3	-	उत्तीस	Alnus nepalensis	02	10-20	160.00	320.00	
	-	-	-	07	20-30	330.00	2310.00	
	-	-	-	04	30-40	550.00	2200.00	
	-	-	-	05	40-50	1120.00	5600.00	
	-	-	-	02	50-60	2200.00	4400.00	
4	-	बुरैश्	Rhododendron	04	0-10	50.00	200.00	
	-	-	-	09	20-30	160.00	1440.00	
	-	-	-	03	30-40	390.00	1170.00	
	-	-	-	01	40-50	630.00	630.00	
	-	-	-	01	50-60	780.00	780.00	
	-	अंवार	Andromeda	01	10-20	80.00	80.00	
	-	-	-	02	20-30	160.00	320.00	
	-	-	-	01	40-50	630.00	630.00	
5	-	पदम	Andromeda	01	30-40	390.00	390.00	
6	-	कुकाट	Andromeda	01	20-30	160.00	160.00	
7	-	खागसी	Swide macrophylla	01	0-10	40.00	40.00	
	-	-	-	02	20-30	160.00	320.00	

8	-	तुल	Cedrela toona	01	30-40	3320.00	3320.00	
9	राज्य भूमि शेसी गोण्डर	पीड	pinus roxburgii	02	0-10	90.00	180.00	
10	-	उत्तीस	Alnus nepalensis	03	10-20	160.00	480.00	
	-	-	-	01	50-60	2200.00	2200.00	
11		बुरोँझ	Rhododendron	01	20-30	160.00	160.00	
12	-	काफल	Andromeda	01	70-80	1230.00	1230.00	
	योग	-	-	222	-	-	918080.00	

वनक्षेत्रधिकारी
वन क्षेत्रधिकारी
राज्य वन क्षेत्र
पुस्तकालय

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौचर (गौपेश्वर)

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदनमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसाही तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	-	बाँज	-	02	09	09	03	01	-	-	01	01	26

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त
प्रमाण-पत्र

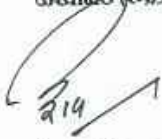
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनप्रभागीय वनाधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
ऊखीमठ


उपप्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी



उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर



उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभयारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभयारण की सीमा से दूरी १२.५ कि०मी० है।


वनक्षेत्रधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गुप्तकाशी


अप्रभागीय वनक्षेत्रिकारी
उ० प्र०
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनक्षेत्रिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदनमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभयारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभयारण का हिस्सा ~~नहीं~~ है।


वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
खीमठ वन क्षेत्र
मुफ्तकाशी


मुख्यप्रदेशीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


उप वन संरक्षक
प्रदेशीय वनक्षेत्राधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसायी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

F.No.6-30/2015 WL (33rd Meeting)
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Wildlife Division

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bag Road, Aliganj
New Delhi-110003
Dated: 10.04.2015.

To
The Principal Secretary (Forests)
Department of Forests
Government of Uttarakhand
87, Sachivalaya, Rajpur Road
Dehradun-600006.

Sub: Minutes of the 33rd Meeting of Standing Committee of NBWL.

Sir,

During the 33rd Meeting of Standing Committee of NBWL held on 14th March 2015 under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Environment, Forests and Climate Change, the following proposals pertaining to your State were considered. The relevant portion of the decision taken in respect of the proposals is reproduced below:

1. Proposal for collection of River Bed Material (RBM) from the river bed of river Rawasan River Part-2 (100.59 ha), district Haridwar, Uttarakhand.
2. Proposal for collection of River Bed Material (RBM) from the river bed of river Bishanpur (237.918 ha), district Haridwar, Uttarakhand.
3. Collection of River Bed Material (RBM) from the river bed of ganga river Rawasan Part-2 (99.79 ha) distt. Haridwar, Uttarakhand.
4. Collection of River Bed Material (RBM) from the river bed of Ganga river at Shyampur (219.442 ha) distt. Haridwar, Uttarakhand.
5. Collection of River Bed Material (RBM) from the river bed of Ganga river at Pilli (131.31 ha) distt. Haridwar, Uttarakhand.

The Member Secretary briefed the Committee on the proposal. Dr. R. Sukumar who was deputed to undertake inspection of the site, requested the Standing Committee to depute WII in his place for site inspection as the Institute had previous experience of conducting such studies in the same area.

Hon'ble Chairman stated that sand mining in the river beds is being carried out in an arbitrary and unscientific manner which has been destroying the rivers. He suggested that scientific assessment of the sand deposits in the area based on satellite imagery in the month of November (after the monsoon period) should be made the basis for preparation of a sustainable sand mining plan for the whole river stretch in the state.

After discussions, the Standing Committee decided that a team comprising of a representative of WII, Inspector General of Forests NTCA and Chief Wild Life Warden Uttarakhand will undertake a site visit to evaluate the Environment Impact Assessment, Environment Clearance related conditions and possible implications of the proposal and submit the report to the Standing Committee for further consideration.

Contd.../2

31/04/2015
4/5/2015
G. S. Singh

:2:

6. **Electrification of Railway Track through Rajaji National Park between Haridwar and Dehradun in Uttarakhand.**

With the permission of Chair, the proposal of Northern Railway on electrification of track between Haridwar and Dehradun passing through Rajaji National Park was placed before the committee for consideration.

This proposal was earlier discussed in the 32nd meeting of NBWL. In the said meeting, the Chief Wildlife Warden of Uttarakhand had assured the committee that a meeting of SBWL would be convened soon.

The Chief Wildlife Warden, Uttarakhand updated the committee that the SBWL had been reconstituted and the proposal would be placed before it for consideration.

The Member Secretary added that the recommendation of SBWL may be obtained at enable the Standing Committee to consider the proposal. Hon'ble Chairman requested Dr. to conduct site inspection along with a representative of WIL and a representative of NTCA to assess possible implications on wildlife and suggest mitigation measures."

Diversion of 3.330 ha of forestland from Kedarnath Musk Deer Wildlife Sanctuary for construction of road from Talsari Tokh to Gaundar village, Uttarakhand.

The member secretary briefed the committee on the proposal. The location of the road being along the valley and existing trek path, does not traverse in the musk deer habitat. The road facilitates connecting remote villages in the Madhayamaheshwar valley.

After discussions, the Standing Committee recommended the proposal with conditions prescribed by Chief Wildlife Warden as below:

- Debris that results from road construction shall be consolidated at a suitable location identified by the Wildlife Warden and should not be thrown in the valley.
- Large diameter (40-50 cm dia) Burans and Banj trees shall be retained and the road would be suitably redesigned at the relevant locations.
- Along the steep slopes retaining structure uphill side will be designed with adequate slopes so that accidental fall of wild animals can be avoided.
- Scabbards along the road will be designed with approval of Wild Life Warden, and be sufficiently large to allow movement of animals underneath along the streamlet.

The above recommendation(s) are subject to the existing directives of Hon'ble Supreme Court and provisions of Forests (Conservation) Act, 1980

Yours faithfully

R. Raja
(Rajasekhari Bhatti)

Scientist 'C'/Deputy Director (W)

Copy to:

- The Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand, 5, Chandravani, Mohabawala, Dehradun-248 001.
- The Addl.Pr. Chief Conservator of Forests, Ministry of Environment & Forests, Regional Office(CZ), Kendriya Bhandar, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226020, U.P.
- The Joint Secretary, I.A. Division, MoEF & CC.
- The Inspector General of Forests, FC Division, MoEF & CC.

R. Raja
(Rajasekhari Bhatti)

Scientist 'C'/Deputy Director (W)

सेवा में
 श्रीमान लो० गि० कि० अधिशाही अभियन्ता
 अखीरत जनपद रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

विषय - नाप लैण्ड क्षेत्र का कुवाबजा न चहाने वाकत
 प्रार्थना पत्र सेवा में प्रेषित

महोदय,
 सविनय निवेदन इस प्रकार से है, कि लो० गि० कि०
 एवं बन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के समय औरासी
 भगतोली धाद से गौडा तक के मध्य नाप लैण्ड
 में जितने की वृक्ष का रहे हैं, उन सभी वृक्षों
 का ग्राह पंचायत गौडा किसी भी प्रकार से हकदार
 एवं विभाग से कोई कुवाबजा नहीं चहाने है,

हार्दिक

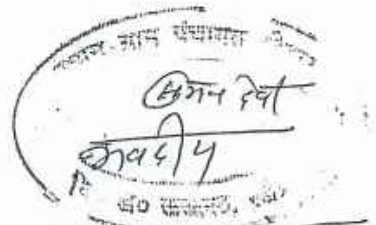


Photo copy Attested

सहायकी अभियन्ता
 निर्माण खाण्ड लो० गि० कि०
 अखीरत (रुद्रप्रयाग)

पृष्ठ-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.. 14

Dated. 01.10.16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.005** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Talsari took to Gaundar Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Ransi, Gaundar** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.005** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

Raghav
बिला बविनारी

(Dr. Raghav Langar)

District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

पृष्ठ-30.1

Annexure -

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langar (IAS)** District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 03.11.2016 at time 2:30 p.m. in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 4.005 hectare for the construction of Construction of Talsari took to Gaundar Motor Road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ukhimath Tehsil** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.



(Dr. Raghav Langar)
District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

पारूप - 30.2

परियोजना का नाम : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, हेतु आरक्षित वन भूमि 2.9170 है0 राज्य भूमि 1.035 है0, अर्थात् कुल 4.005 है0 वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. ऊखीमठ के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऊखीमठ) की दिनांक 06-05-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री इतम सिंह चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1- श्री <u>इतम सिंह चौधरी</u> | उपजिलाधिकारी | <u>राजीव</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>शिव लाल</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>गोपेश्वर (चमोली)</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>सतीश कुमार पाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | | सदस्य/सचिव |
| 4- श्रीमती <u>भरोसी देवी राजत</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र <u>राजीव, अनियाणा, गौंडार</u> | | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 4.005 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. ऊखीमठ के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, हेतु 4.005 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. ऊखीमठ को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

बी0डी0सी0
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी

श्रीमती भरोसी देवी
सदस्य
है0 प0 संसी, अनियाणा, गौंडार
वि0 ख0 ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

No. R-38/ST-निविध/2016/06-05-2016

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गौंडार

तहसील- ऊखीमठ, जनपद- रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौंडार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 2:970 है0 सिविल भूमि 1:035 है0, कुल 4:005 है0 वन भूमि को निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गौंडार द्वारा दिनांक 13/02/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गौंडार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



दिनांक 13/09/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मोठक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री शेर सिंह पुत्र स्व. कैशर सिंह	शेर सिंह
2	श्री आलम सिंह पुत्र स्व. ज्वाला सिंह	आलम
3	श्री कार्तिक सिंह पुत्र स्व. तारा सिंह	कार्तिक सिंह
4	श्री इन्द्र सिंह पुत्र स्व. कीर्ति सिंह	इन्द्र सिंह
5	श्री श्रीचन्द सिंह पुत्र स्व. श्याम सिंह	श्रीचन्द
6	श्री भुक्त सिंह पुत्र स्व. गव्वर सिंह	भुक्त सिंह
7	श्रीमती रामप्रदा देवी पत्नी स्व. बचन सिंह	
8	" चूरी देवी पत्नी स्व. बादर सिंह	
9	श्री महेश सिंह पुत्र स्व. तोता सिंह	
10	श्रीमती नन्दा देवी पत्नी स्व. ताग सिंह	



प्रपत्र-33

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक आख्या


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

64

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 33/1733/08

जनपद रुद्रप्रयाग में तलसारी टोक से गौण्डार मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन
की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देहरादून (उत्तराखण्ड)

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अप्रैल 2008

जनपद रुद्रप्रयाग में तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अन्तर्गत 5.00 कि०मी० लम्बाई में तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 4.4.2008 को संबंधित अधिशासी अभियन्ता श्री चन्द्रशेखर भट्ट, सहायक अभियन्ता श्री एल०एस० जंगवाण एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री शक्ति आर्य के साथ निरीक्षण किया गया।
2. राज्य योजना के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग का 5.00 कि०मी० लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एक्सटेंशन जुगासू से रांसी तलसारी मोटर मार्ग के 3.85 कि०मी० के अंतिम बिन्दु से आगे कराया जाना है। मार्ग के निर्माण हेतु खण्ड द्वारा समरेखन बनाये गये हैं। समरेखन संख्या दो के अनुसार मार्ग की लम्बाई बढ़ती है तथा इसमें दो अतिरिक्त हेयर पिन बैंड दिये गये हैं। अतः निर्माण खण्ड लो०नि० वि० ऊखीमठ द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्र०ग्राम सड़क योजना के स्वीकृत मोटर मार्ग के अंतिम बिन्दु (कि०मी० 3.85) से आगे समरेखन आरम्भ होता है। समरेखन अधिकांशतः ग्राम गौण्डार के पैदल मार्ग के आस-पास है। समरेखन में दो हेयर पिन बैंड हैं, जो क्रमशः क्रॉस सैक्शन 2/35 तथा 3/07 दिये गये हैं। समरेखन मधुगंगा नदी को एवं दो गदरों को पार करता है जिन पर सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी। अवगत कराया गया कि समरेखन की अधिकांश लम्बाई संरक्षित वन क्षेत्र (sanctuary area) से होकर गुजरती है। समरेखन 5.00 कि०मी० लम्बाई पूर्ण कर ग्राम गौण्डार के समीप समाप्त होता है। इस क्षेत्र में नीस व शिस् चट्टानें दृष्टिगोचर हैं तथा चट्टानी भाग में पहाड़ी ढलान तीव्र है जो सामान्यतः 45° से 65° के मध्य प्रतीत होता है। समरेखन क्षेत्र में स्थल निरीक्षण के दिन प्रथम दृष्ट्य कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई। अवगत कराया गया कि समरेखन अधीक्षण अभियन्ता सातवां वृत्त लो०नि० वि० गोपेश्वर द्वारा अनुमोदित है।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझावे दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वह इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये।
 - (ग) सेतुओं का निर्माण उपयुक्त स्थल पर भूगर्भीय राय के आधार पर कराया जाये।

Photo copy Attested निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

- (घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
- (ङ) समरेखन में तीव्र चट्टानी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।
- (च) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ- साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
- (छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें।
- (ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

- (i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहाँ आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. तलसारी तोक से गौण्डार मोटर मार्ग हेतु 5.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्राक 7272/8(1)याता०-उ०/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देहरादून (उदप्रयाग)

H. Kumar
9.4.08
सर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभि. स्तर-1
लो० नि० वि० उत्तरांचल
देहरादून

Photo copy Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देहरादून (उदप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तक से गौण्डार तक, मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-36

परियोजना का नाम:— जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
- 6- परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेखा-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुलाये रख-खाव किया जायेगा
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उतारखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगुने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाइन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदनमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


 निताधिकारी
 रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्यजीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिष्ठासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का तो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नहीं करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	गौण्डार	242	60


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

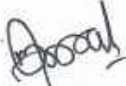

अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

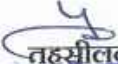
प्रपत्र-41

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 4.005 है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य ₹ 7.00 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य ₹ 28.03 लाख होता है।


राजस्व उपनिरीक्षक
कालीमठ


तहसीलदार
कालीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
कालीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मद्महेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक (केदारनाथ वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत) मोटर मार्ग 4.005 है० के निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल - उनियाणा सिविल

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल 4.005 X 2 = 8.01 ha.		8.01	है०	वर्ष 2018-19
क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	बांज	3520		
2	देवदार	3000		
3	बांस	3000		
3	आंवला	3000		
4	कचनार	3500		
योग		16020		
रोपित कुल पौध		16020		

प्रथम चरण

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	8.0100	है०	115.00	921.15
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	8.0100	है०	3730.00	29877.30
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	8.0100	है०	38637.00	309482.37
4	गड़ढो का खुदान (0.30x0x30x0.45cum) रेखांकन सहित	16020	प्र० ग०	7.95	127359.00
5	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है० 100x0मी0 लम्बी व 0.60मी0 चौड़ी)	480.600	प्र० मी०	18.00	8650.80
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष लगाने का	16020	प्र० सं०	6.20	99324.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंत्र औजार तैज करना	8.0100	है०	915.00	7329.15
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान)	8.0100	है०	9150.00	73291.50
प्रथम चरण का योग					656235.27

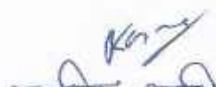
द्वितीय चरण

1	गड़ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	16020	सं०	1.42	22748.40
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	16020	सं०	1.80	28836.00
3	पौध दुलान कार्य	16020	सं०	9.00	144180.00
4	पौध रोपण कार्य व थायला बन्दी कार्य	16020	सं०	2.77	44375.40
5	निराई गुड़ाई करना प्रथम बार	16020	सं०	1.89	30277.80
6	निराई गुड़ाई करना मय मलचिंग कार्य द्वितीय बार	16020	सं०	1.63	26112.60
7	खाद व दवा पर व्यय	8.0100	है०	1200.00	9612.00
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (वाचर 1)	8.0100	प्र० है० / माह	685 प्रतिमाह / प्रति है०	65842.20
9	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/काला बांसा)	8.0100	है०	1887.00/ Heac	15114.87

मुनि अधिकारी
गुप्तकशी मुनिट

रुद्रप्रयाग

	8.2 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	8.010		L.S	4157.19
कुल योग द्वितीय चरण					391256.46
तृतीय चरण					
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	8.0100	₹0	1887.00	15114.87
2	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	8.010		L.S	14418.00
	ब- प्रोत्साहन	8.010		L.S	8010.00
	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	1602	₹0 / पौध	8.00	12816.00
	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण करना	1602	₹0 / पौध	4.40	7048.80
3	पौधों का ढुलान कार्य करना	1602	₹0 / पौध	9.00	14418.00
	गडढों में गोबर खाद डालना मय ढुलान सहित	1602	₹0 / पौध	1.95	3123.90
	शीतकाल में मलचिंग सहित कार्य	1602	₹0 / पौध	1.63	2611.26
तृतीय चरण का योग					143403.03
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
चतुर्थ चरण का योग :-					69446.70
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
पंचम चरण का योग :-					69446.70
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
छठवें चरण का योग :-					69446.70
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
सातवें चरण का योग :-					69446.70
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
आठवें चरण का योग :-					69446.70
नवम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
नववें चरण का योग :-					69446.70
दशम चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	8.0100	₹0	685.00	65842.20
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	8.0100	₹0	450.00	3604.50
दशवें चरण का योग :-					69446.70


 मुनिर अधिकारी
 गुफावासी मुनिर


 2100

5-कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय			
क0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय	
1	प्रथम वर्ष	856235.27	
2	द्वितीय वर्ष	391256.46	
3	तृतीय वर्ष	143403.03	
4	चतुर्थ वर्ष	69446.70	
5	पंचम वर्ष	69446.70	
6	छठवें वर्ष	69446.70	
7	सातवां वर्ष	69446.70	
8	आठवां वर्ष	69446.70	
9	नवम् वर्ष	69446.70	
10	दशम वर्ष	69446.70	
कुल व्यय रुपये		1677021.66	
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु देय दर/ 278665.00 रू0/है0		8.01	Ha. 2232106.65

Kam
यूनिट अधिकारी
गुफाकारी यूनिट

अ. 5

अ. 5
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अ. 5
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विन्दिहत सिविल अनियाणा स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन क्षेत्र
मुफ्तकाशी


उपप्रभागीय वनशिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
उ० गोपेश्वर ज०
गोबर (गोपेश्वर)


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनशिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

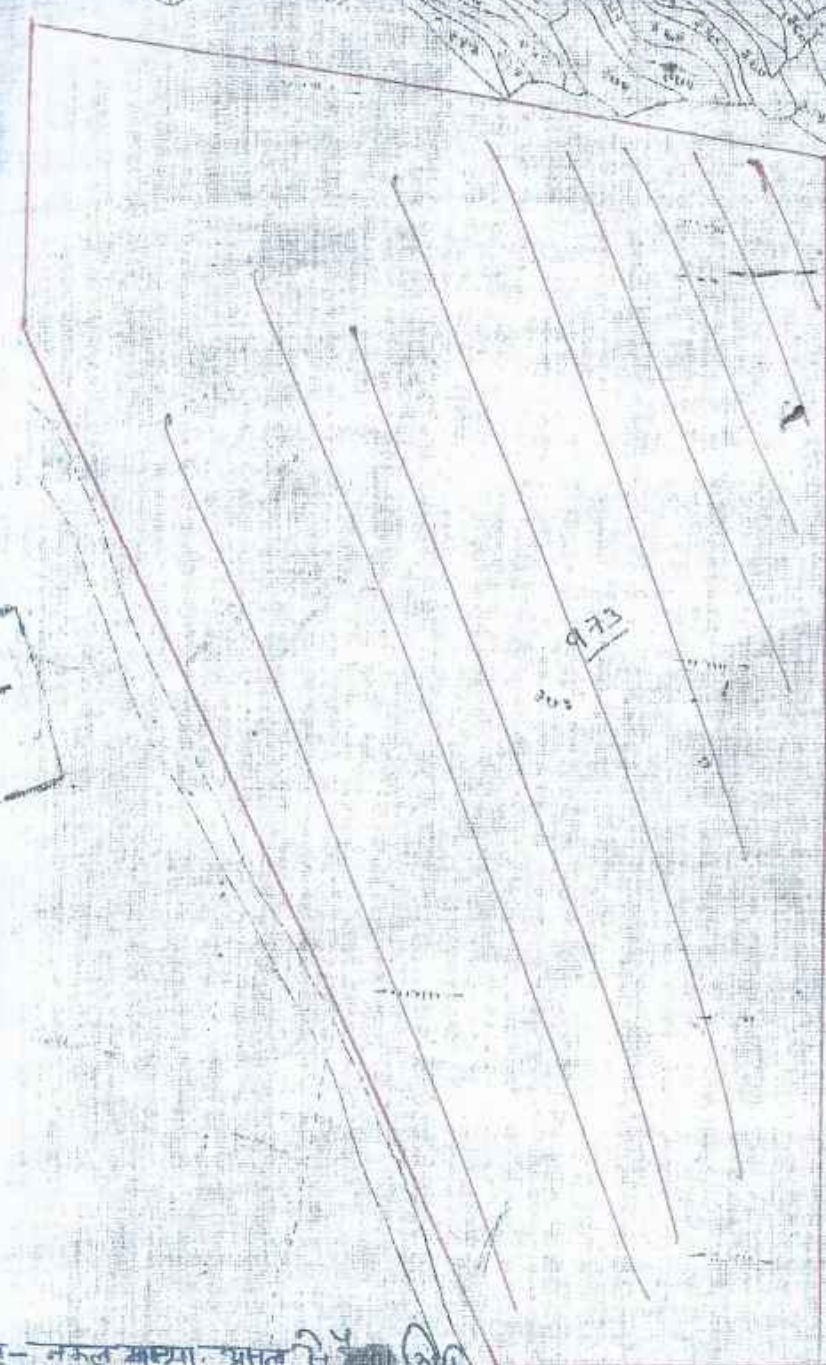
नमशा मजरी

ग्राम - डीनाला

राजपूताना का सिम

तहसील कुरुमठ

जिला रुद्रप्रयाग



973

नोट - नकल मजरी प्रस्तुत है
ग्राम मजरी की जानकारी के अनुसार
ग्राम गौशाला और ग्राम में वन क्षेत्र
के संबंधित जानकारी के लिए 8/01/16
ग्राम मुखिया से रंग से जानकारी ली गई

विष्णु मिश्रा

तहसील नं. ४ से

मनोव अंतर्गत
गो 30 बिठ ... कालि मठ ...
तहसील - कुरुमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार
कुरुमठ

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

नकल खसरा फसली वर्ष 147 से 1421

ग्राम का नाम:- अनिरामा

सांख्यिक क्षेत्र:- जालीपत्रा

तहसील:- कसीमठ

जनपद:- रुद्रप्रयाग

खेत की संख्या	क्षेत्रफल (हि. में)	खाता खतीली संख्या	खतीली के भाग 1 में वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतीली के भाग 2 में वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	मिटवाई का साधन	क्षेत्रफल									फसली क्षेत्रफल दो		अकुचित भूमि		खेत के पूरे बड़े दूधे पृष्ठों की संख्या	विवरण
						खरीफ			रबी			जायद			क्षेत्रफल दो		अकुचित भूमि			
						फसल	सि०	असि०	फसल	सि०	असि०	फसल	सि०	असि०	सि०	असि०	माप	क्षे०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
972	80842	22	उ० ग० ल०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	मी० 80842	-	-	-
नोट- 1. मूल खसरा फसल से तैयार किया मनाज असदुल्लाह 30 जून 2014 सी० कसीमठ (रुद्रप्रयाग) अनिरामा जनपद रुद्रप्रयाग अनिरामा जनपद रुद्रप्रयाग																				

अनामठ (रुद्रप्रयाग)

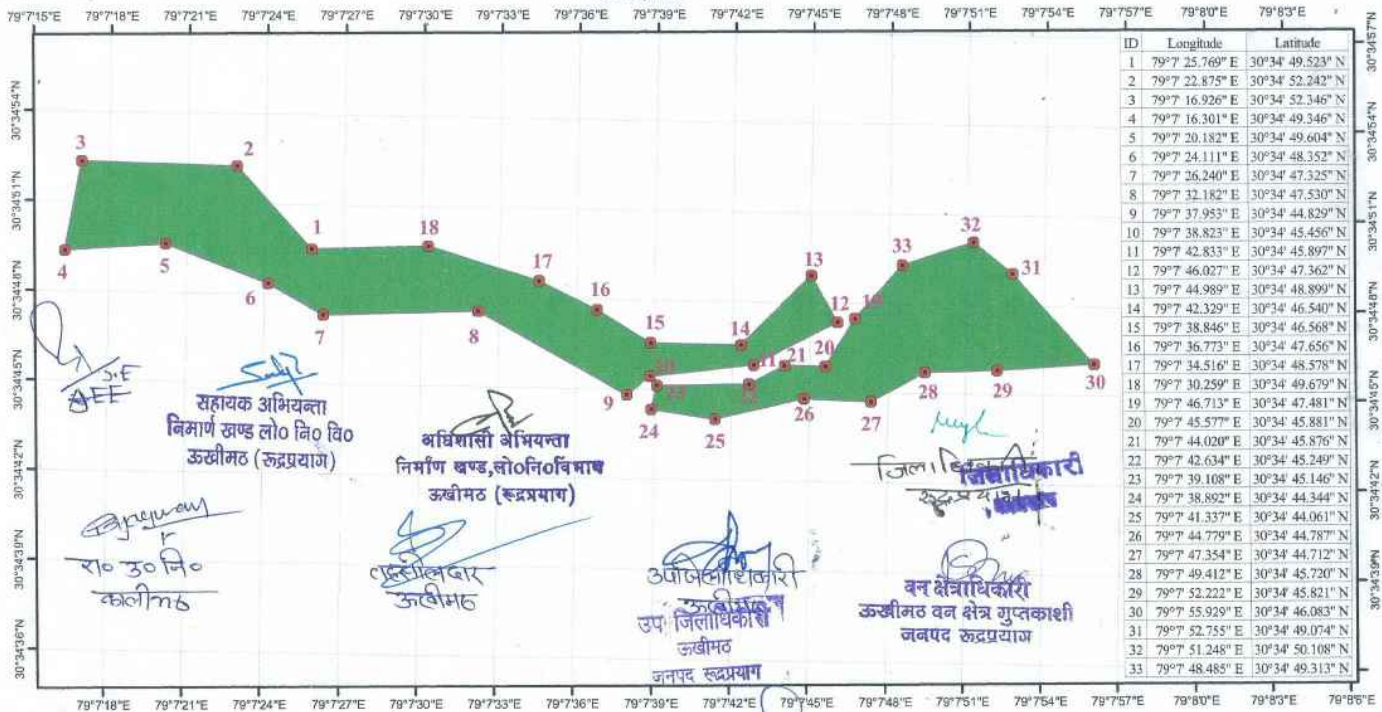
38

44

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.05 0.1 0.2 Km

1 : 5,000



Legend

- Ca Point
- CA P polygons

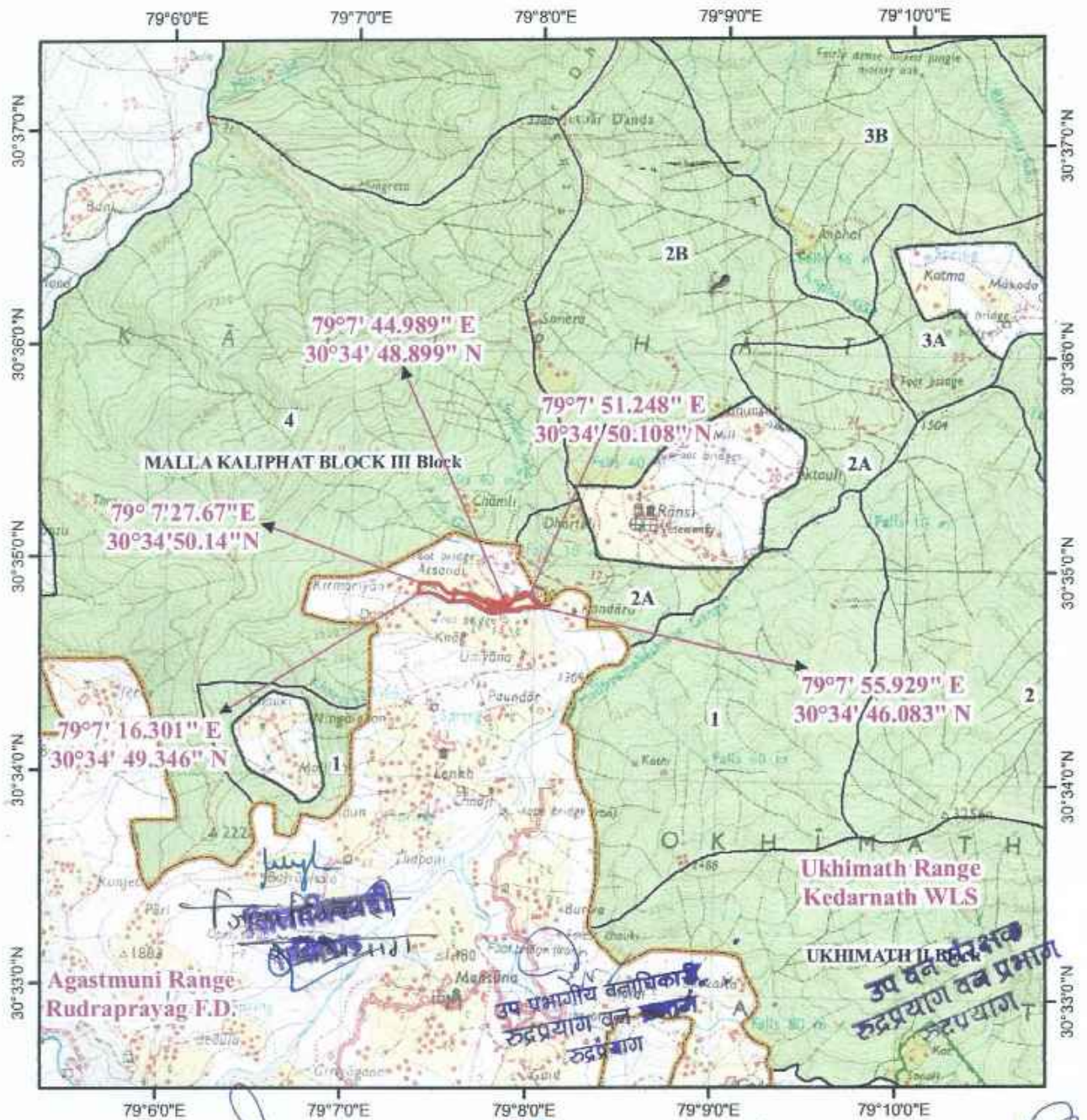
यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनिट

उप प्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

आंधशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाश
जनपद रुद्रप्रयाग

राज्य योजना
कमीशनर

राज्य योजना
कमीशनर

उप निरीक्षक
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

मूनिटिंग ऑफिसरी
गलकाशी प्रमिट

प्रस्तावित परियोजना मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थल पर वृक्षारोपण का कार्य					
परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ में तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य					
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर रेंज -ऊखीमठ					
वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल			3.86 है०		
लोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (333 पौध / प्रति किमी) $333 \times 4.55 = 1515$ पौध					
प्रथम चरण					
क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	3.86	है०	85.00	328.1
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	3.86	है०	2630.00	10151.8
3	ट्री गार्ड क्रय करना	1515	सं०	600.00	909000
4	गड्डे खुदान $0.30 \times 0.30 \times 0.45$ रेखांकन सहित	1515	सं०	5.59	8468.85
5	निरीक्षण बटिया बनाना (प्रति है० 100 रमी० ल० व 0.60 मी० चौड़ी)	3.86	है०	644.00	2485.84
6	पौधो की कीमत प्रथम वर्ष	1515	सं०	5.00	7575.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र औजार तेज कराना वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	3.86	है०	644.00	2485.84
कुल योग प्रथम चरण					940495.43
द्वितीय चरण					
1	गड्डे मरान कार्य $0.30 \times 0.30 \times 0.45$	1515	सं०	1.00	1515.00
2	पौधो की कीमत द्वितीय वर्ष	1515	सं०	1.20	1818.00
3	1515 बैग पौध का दुलान वाहन से 25 किमी०	1515	सं०	8/सं०/किमी०	3030.00
4	ट्री गार्ड दुलान करना	1515	सं०	Is	5000.00
5	ट्री गार्ड गाढना एवं फिक्स करना	1515	सं०	50.00	75750.00
6	पौधारोपण व धावलाबन्दी	1515	सं०	1.95	2954.25
7	निराई -गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	1515	सं०	2.49	3772.35
8	खाद व दवा पर व्यय	3.86	है०	Is	3000.00
9	प्रथम वर्ष देखरेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह) तक 01 श्रमिक	3.86	है०	4830/month	43470.00
10	अन्य व्यय बोर्ड , पौध दुलान हेतु टोकरी सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्ष से बचने हेतु पालीथिन सीट क्रय करना	3.86	है०	8050.00	31073.00
योग द्वितीय चरण					171382.60
तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00
योग तृतीय चरण					62960.00
चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00
योग चतुर्थ चरण					62960.00
पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुस्क्षण कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00

85

योग प्रथम चरण					62960.00	
छटवां चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00	
योग छटवा चरण					62960.00	
सातवां चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00	
योग सातवा चरण					62960.00	
आठवां चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00	
योग आठवां चरण					62960.00	
नवां चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00	
योग नवां चरण					62960.00	
दसवां चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसंधान कार्य 12 माह 01 श्रमिक	1	सं०	4830.00	57960.00	
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	3.86	है०	Is	5000.00	
योग दसवा चरण					62960.00	
कुल घनराशि					प्रथम चरण	940945.00
					द्वितीय चरण	171382.00
					तृतीय चरण	62960.00
					चतुर्थ चरण	62960.00
					पंचम चरण	62960.00
					छटवां चरण	62960.00
					सातवां चरण	62960.00
					आठवां चरण	62960.00
					नवां चरण	62960.00
					दसवां चरण	62960.00
					कुल योग	1616007.00
सिलिंग के अनुसार देय दर / 345312.00 / किमी०			4.550	कि०मी०	1571170.00	

उप वन संरक्षक
कैदाराय वन क्षेत्र प्रथम
मोक्षपुर (गोपेश्वर)

उ० प्र० व० अ०
गौवर (गोपेश्वर)

कं. क्षेत्राधिकारी
उ० प्र० व० अ०
मोक्षपुर (गोपेश्वर)

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



आधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:— जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली 4.005 है। वन भूमि के दुगने अवतन अर्थात् 8.01 है। सिविल सोयम भूमि जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में वर्णित है, में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	खसरा नं.	कुल रकवा (है.)	अर्जित रकवा (है.)	खता खतोनी सं.	भूमिधर का नाम	भूमि किस्म
1	2	3	4	5	6	7
1	973	8.03	8.01	22	उ०ख० सरकार	भीटा


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कान्ति अभिनव
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभिनव
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग


अदिशाशी अभिनव
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


रा० उ० नि०
ऊखीमठ


उप-विभागीय अधिकारी
ऊखीमठ


उप-विभागीय अधिकारी
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

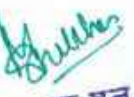

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रुद्रप्रयाग


यूनियट अधिकारी
गुप्तकाशी यूनियट


D.S.


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग


उप-विभागीय अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप-विभागीय अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-49
MUCK DISPOSAL PLAN

Name of Work: Construction of Talsari Tok to Gaundar Motor Road in Madmaheshwar Valley in District Rudraprayag.

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width	Average Cutting Height
Forest land	4757 m	5 m	3 m
Nap land	243 m	3 m	2 m

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land $1/2 \times 4757 \times 5 \times 3 = 35677.5 \text{ Cum}$

For Nap land $1 \times 243 \times 3 \times 2 = 1458.0 \text{ Cum}$

Total muck = 37135.5 Cum

Assuming 40% swelling of muck so muck received (A+40%A)

----- A
----- B

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B)

20795.9 Cum

Boulders used as :-

(a) RR Stone Masonary (60% of C) 12477.5 Cum

(b) HP Stone Filling (20% of C) 4159.18 Cum

(c) Wirecrates and parapits (10% of C) 2079.59 Cum

(d) Granular sub base/ base (10% of C) 2079.59 Cum

Total Boulders utilized 20795.9 Cum

Soil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of B-C) 12477.5 Cum

Muck left for disposal (B-C-D) 18716.29 Cum

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch. 0/5	45	30	3.5	Reserved Forest	0.135	4725	79°9'17.87"E 30°35'25.69"N
2	Ch. 0/26	43	20	2	Reserved Forest	0.086	1720	79°9'35.33"E 30°35'40.31"N
3	Ch. 0/33	44	35	4	Reserved Forest	0.154	6160	79°9'33.92"E 30°35'53.07"N
4	Ch. 2/7	35	40	3.5	Civil Land	0.140	4900	79°10'18.03"E 30°36'3.09"N
5	Ch. 2/40	40	40	1	Civil Land	0.160	1600	79°10'44.65"E 30°36'8.73"N

0.675 Ha

Total Capacity of Dumping Zones - 19105 Cum

Total Muck need to be disposed - 18716 Cum

Balance Debris - NIL

कांतेल अभियन्ता
लोडिंग/विड
ऊर्ध्वमंड

सहायक अभियन्ता
लोडिंग/विड
ऊर्ध्वमंड

अपशिष्ट अभियन्ता
लोडिंग/विड
ऊर्ध्वमंड

निदेशाधिकारी
ऊर्ध्वमंड वन क्षेत्र
मुक्तकाशी

उप प्रशासी वन अधिकारी
वेदनाशाल वन्य जीव प्रभाग
उ० प्र० वन क्षेत्र
गौधर (गोपेश्वर)

उप उपप्रभ संरक्षक
वेदनाशाल वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी
 तक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वनभूमि का लो०नि०वि०
 को हस्तान्तरण



—वेनेज 0/5—



—वेनेज 0/26

Signature
 J.E

Signature
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

Signature
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी
तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 हे० वनभूमि का लो०नि०वि०
को हस्तान्तरण



पेनेज 0/33



Rafin
J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

पेनेज 2/7

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी
तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.005 है० वनभूमि का लो०नि०वि०
को हस्तान्तरण



पेज 2/40

Raj Singh

J. F


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० भाष
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.1 0.2 0.4 Km

Scale - 1: 15,000

79°9'30"E

79°10'0"E

79°10'30"E

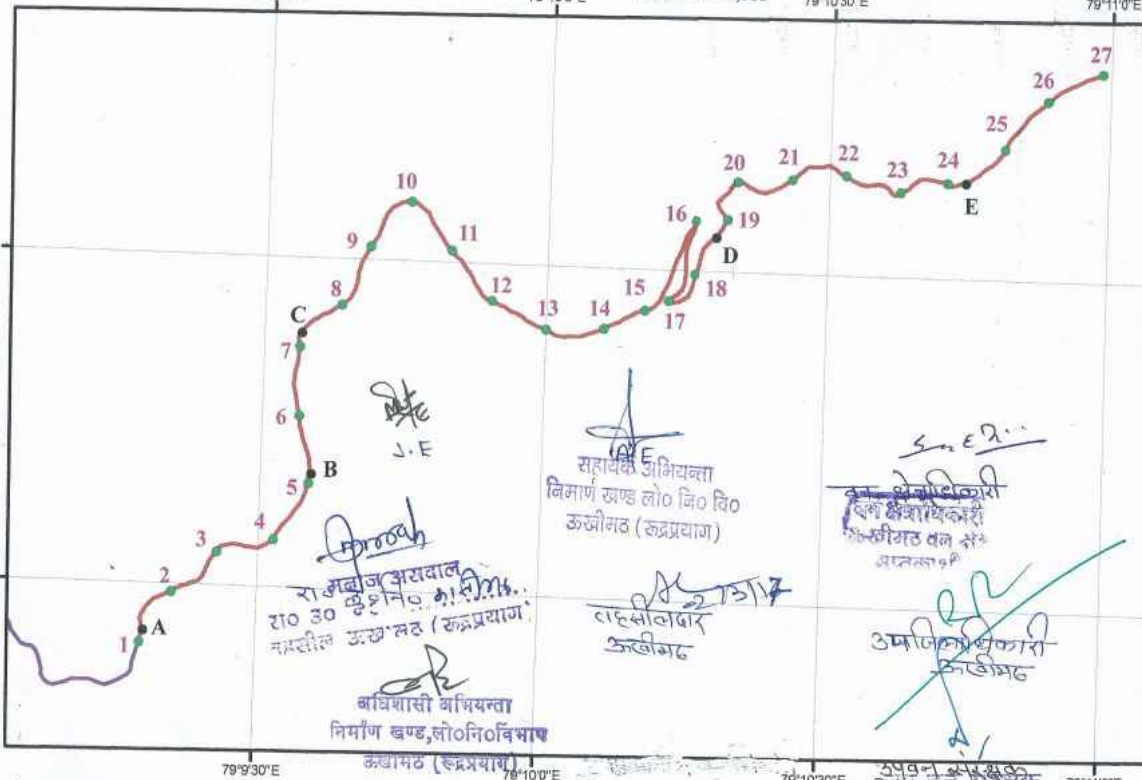
79°11'0"E

79°11'30"E

30°35'0"N

30°35'30"N

30°36'0"N



ID	Longitude	Latitude
1	79° 9' 17.574" E	30° 35' 24.607" N
2	79° 9' 20.787" E	30° 35' 29.262" N
3	79° 9' 25.525" E	30° 35' 32.993" N
4	79° 9' 31.484" E	30° 35' 34.283" N
5	79° 9' 35.036" E	30° 35' 39.461" N
6	79° 9' 33.908" E	30° 35' 45.600" N
7	79° 9' 33.695" E	30° 35' 51.864" N
8	79° 9' 38.051" E	30° 35' 55.755" N
9	79° 9' 40.975" E	30° 36' 1.161" N
10	79° 9' 45.155" E	30° 36' 5.339" N
11	79° 9' 49.619" E	30° 36' 1.039" N
12	79° 9' 54.046" E	30° 35' 56.603" N
13	79° 9' 59.950" E	30° 35' 54.219" N
14	79° 10' 6.098" E	30° 35' 54.524" N
15	79° 10' 10.530" E	30° 35' 56.244" N
16	79° 10' 15.772" E	30° 36' 4.507" N
17	79° 10' 12.968" E	30° 35' 57.240" N
18	79° 10' 15.764" E	30° 35' 59.647" N
19	79° 10' 19.108" E	30° 36' 4.728" N
20	79° 10' 20.073" E	30° 36' 8.175" N
21	79° 10' 25.988" E	30° 36' 8.570" N
22	79° 10' 31.722" E	30° 36' 9.087" N
23	79° 10' 37.587" E	30° 36' 7.756" N
24	79° 10' 42.664" E	30° 36' 8.664" N
25	79° 10' 48.837" E	30° 36' 11.869" N
26	79° 10' 53.279" E	30° 36' 16.344" N
27	79° 10' 59.039" E	30° 36' 19.019" N
Muck Disposal		
A	79° 9' 17.870" E	30° 35' 25.690" N
B	79° 9' 35.330" E	30° 35' 40.310" N
C	79° 9' 33.920" E	30° 35' 53.070" N
D	79° 10' 18.030" E	30° 36' 3.090" N
E	79° 10' 44.648" E	30° 36' 8.730" N

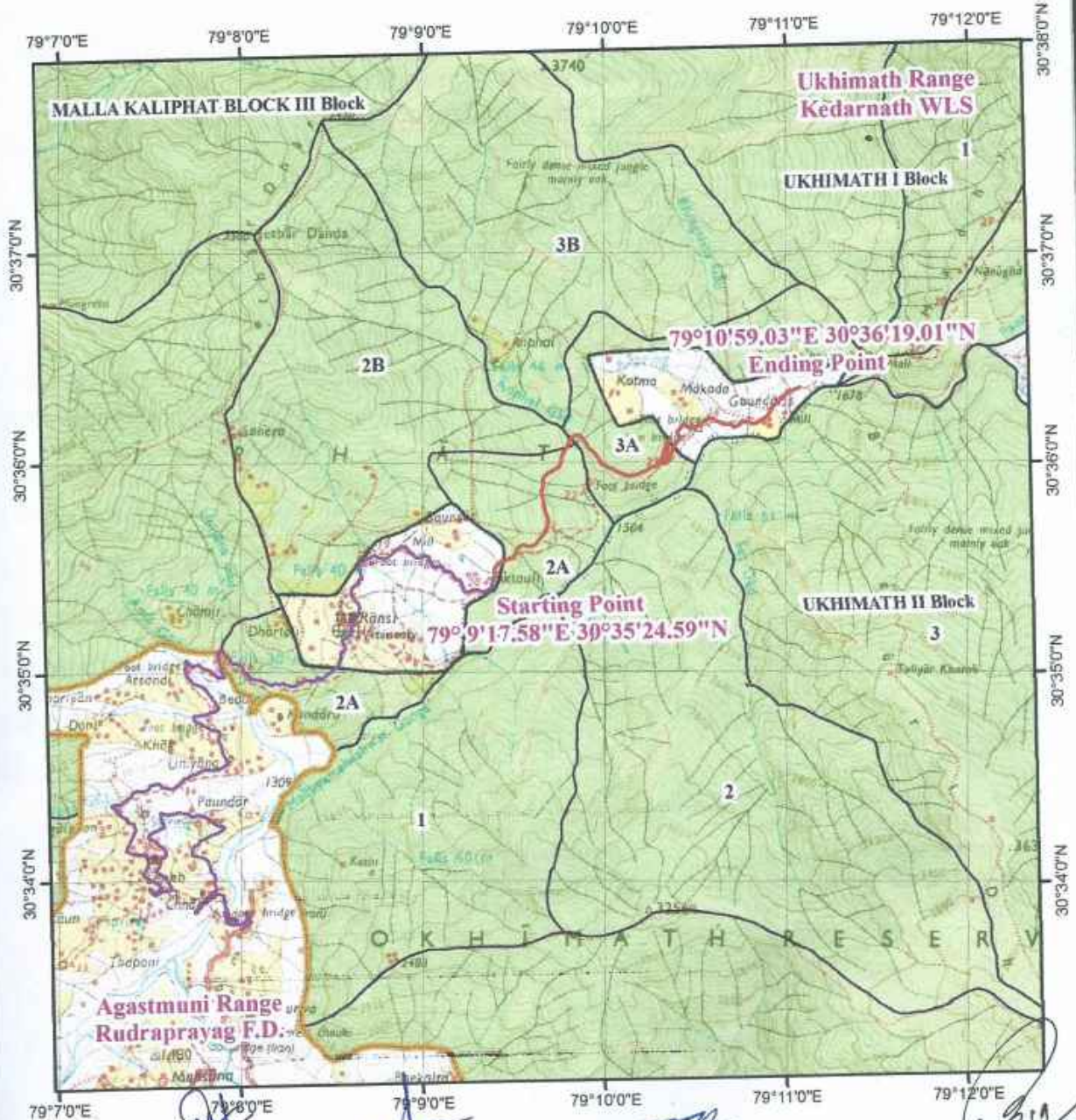
Legend

- Muck Disposal
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

महेश्वर (समीक्षा)

डिजिटल मैप – जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहस्यक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० बि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्र अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
मुक्तकाशी

अपुन्यारिणी वन अधिकारी
हो० प्र० व० लो०
विचर (गोपेश्वर)

अभियन्ता अभियन्ता
अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० बि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अपुन्यारिणी वन अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गोपेश्वर (गोपेश्वर)

प्रपत्र-50

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - वलास श्रेणी----- V
- 2.हरियाली का घनत्व ----- 0.2
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है. 657000.00
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 4.005 हेक्टे०
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी 26,31,285.00


जनपद-रुद्रप्रयाग
वन अधिकारी
गुप्तकाशी


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर


उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर

प्रपत्र-51

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-52

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डार तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर.सी.सी. पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रावकलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र सं	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	ऊँचाई (मी०)	मात्रा	इकाई	दर (₹) में	घनराशि (₹) में
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	16	0.80	0.60	0.30	1.728	m ³	284.70	491.96
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	16	0.60	0.60	0.10	0.576	m ³	L.S	5000-00
3	1.2.4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी०पिलर का निर्माण 317516 लीटर	16	0.60	0.60	0.80	4.608	m ³	5954.70	27439.25
4	आर०सी०सी० पिलर कार्य हेतु सरिया क्रय करना	4.608 x 0.78 = 3.59				3.59	क्ष.	4000/-	14360-00
5	पिलर में 1.4 मसाले प्लास्टर कार्य	4 x 5	0.60	0.60	-	7.2	m ²	200/-	1440-00
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना							L.S.	500-00
7	पानी की जुलाई आदि							L.S.	1000-00
	कुल योग								50231.21

वन विभाग
रुद्रप्रयाग
मुख्यालय

उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार (सिपुवा)

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौण्डार (सिपुवा)

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत मदमहेश्वर घाटी के अन्तर्गत तलसारी तोक से गौण्डर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्रीय अधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र
गौतकाशी


उपप्रभागीय वनधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
उ० प्र० वि० अ०
गौचर (गौपेश्वर)


उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गौपेश्वर